

समाचार

बेवजह घूमने, मास्क न लगाने, लाकडाउन के उल्लंघन पर लगा 19700 रु. जुर्माना



कोरबा 30 सितम्बर 2020 –लाकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से निकलकर बाहर घूमने, मास्क न लगाने एवं लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर निगम अमले द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत 29 एवं 30 सितम्बर को 15900 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया, साथ ही इन लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे घरों से बाहर निकलकर अनावश्यक रूप से भ्रमण न करें एवं लाकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें।

नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने एवं इसके नियंत्रण व बचाव की दिशा में जरूरी कदम उठाते हुए जिला प्रशासन द्वारा 23 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक 10 दिनों का लाकडाउन घोषित किया गया है। लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित हों, इस हेतु निगम का अमला लगातार सक्रिय रहकर आज भी लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा। लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों, बेवजह घूमने वालों, मास्क न लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर निगम अमले द्वारा 29 एवं 30 सितम्बर को 19700 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोनांतर्गत 1600 रुपये, बालको जोनांतर्गत 4600 रुपये, दर्री जोनांतर्गत 7100 रुपये, सर्वमंगला जोन में 500 रुपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 900 रुपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 400 रुपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 3600 रुपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल जोन सहित बालको, दर्री, बांकीमोंगरा व सर्वमंगला जोन में निगम का अमला सतत रूप से सक्रिय रहकर आज भी लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा, वहीं बेवजह घूमने, मास्क न लगाने व मेडिकल आदि की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर भी निगम अमले द्वारा कार्यवाही की गई।

लाकडाउन में खोली दुकान लगा जुर्माना— लाकडाउन के दौरान कोसाबाड़ी जोनांतर्गत बुधवारी कांशीनगर क्षेत्र में किराना दुकान संचालक द्वारा दुकान खोलकर सामग्री का विक्रय किया जा

रहा था, इसी प्रकार सब्जी विक्रेता द्वारा सब्जी की बिक्री की जा रही थी, निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर उक्त दोनों दुकानों को बंद कराया तथा 1500 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया एवं कड़ी हिदायत दी गई कि लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, अन्यथा और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

निगम क्षेत्र में 968 कोरोना पाजिटिव होम आईसोलेट— नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी 08 जोन के अंतर्गत अभी तक कोविड-19 के बिना लक्षण या कम लक्षण वाले 968 मरीज होम आईसोलेट हैं, कोसाबाड़ी जोन में होम आईसोलेट मरीजों की संख्या अन्य जोनों की अपेक्षाकृत अधिक हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोन में 94, टी.पी.नगर जोन में 88, रविशंकर शुक्ल जोन में 102, कोसाबाड़ी जोन में 296, बालको जोन में 150, दर्री जोन में 129, सर्वमंगला जोन में 57, बांकीमोंगरा जोन में 52 बिना लक्षण या कम लक्षण वाले कोविड-19 के पाजिटिव मरीज होम आईसोलेशन पर हैं। नगर निगम कोरबा के अमले एवं निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा निरंतर होम आईसोलेट मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है तथा होम आईसोलेशन की पात्रता रखने वाले नए कोविड-19 के मरीजों को होम आईसोलेशन कराने, उनके घरों में स्टीकर लगाने, उन्हें दवाईयों का किट उपलब्ध कराने सहित अन्य आवश्यक दायित्वों का सजगतापूर्वक निर्वहन निगम अमले द्वारा किया जा रहा है।